पत्र सं0-जनसम्पर्क-मीडिया प्रकाशन /2018-19/ 331 /वाणिज्य कर।

कार्यालय-कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(जनसम्पर्क अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 21 दिसम्बर, 2018

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय :- मीडिया एवं समाचार पत्रों में प्रकाशन से सम्बन्धित।

व्यापारिक संगठनों के माध्यम से कतिपय प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि विभिन्न अधिकारियों द्वारा समाचार पत्रों, प्रिन्ट मिडिया में वि0अनु0शा0 एवं सचलदल इकाइयों की कार्यवाही से सम्बंधित विधिक कार्यवाहियों को अनावश्यक रुप से प्रकाशित कराया जाता है जिससे कि व्यापारियों की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है साथ ही उक्त कार्यप्रणाली से शासन एवं विभाग की छवि प्रभावित हो रही है।

व्यापारिक संगठनों द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन से यह स्पष्ट है कि फील्ड स्तर के अधिकारियों द्वारा विभागीय कार्यवाहियों एवं वि.अनु.शा/सचलदल इकाईयों द्वारा करापवंचन सम्बंधी कार्यवाहियों के सम्बंध में अधिकार क्षेत्र से बाहर जाते हुये समाचार पत्र एवं प्रिन्ट मीडिया में अनाधिकृत रुप से बिना सावधानी बरते प्रकाशन कराया जा रहा है जिससे कि सम्बंधित व्यापारियों की सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। इस स्थिति को कदाचित उचित नही कहा जा सकता।

अतः करापवंचन के मामलों में अथवा विभागीय सूचनाओं/निर्देशों को विभिन्न प्रकार के मीडिया/समाचार पत्रों को प्रकाशन हेतु जोन के एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 वाणिज्य कर / एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को अधिकृत किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि मीडिया को प्रकाशन सम्बन्धी सूचना देते समय विशेष सावधानी बरती जाए जिससे किसी व्यापारी की प्रतिष्ठा धूमिल न हो। उक्त के अतिरिक्त अन्य किसी अधिकारी द्वारा मीडिया / समाचार पत्रों को अनावश्यक सूचना न दी जाऐ यदि नामित अधिकारी के अतिरिक्त अन्य किसी भी अधिकारी द्वारा मीडिया / समाचार पत्रों को सूचना दिये जाने का तथ्य संज्ञान में आता है तो सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी।

21/12/18

(कामिनी चौहान रतन)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।